न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 05/2013

बउनवान

सरकार जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां जिला बारां (राज.) **(सायल)**

बनाम

अकरम पुत्र इदरीश जाति–मुसलमान उम्र–27 साल, निवासी–मधुवन रिसोर्ट रोड नाले के पास, लंका कॉलोनी, बारां थाना–कोतवाली,बारां जिला–बारां **(गैरसायल)**

अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. **(सायल)**

2– श्री प्रियदर्शन शर्मा, अभिभाषक **(गैरसायल)**

आदेश दिनांक– 19.12.2018

वाक्यात [illegible] इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल अकरम पुत्र इदरीश जाति–मुस[illegible] वर्ष निवासी मधुवन रिसोर्ट रोड नाले के पास, बारां थाना–कोतवाली [illegible] विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अ[illegible] धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

सं[illegible] प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी को[illegible]ली,बारां जिला बारां ने जिला पुलिस [illegible] महो. बारां को रिपोर्ट की है कि थाना [illegible]वाली–बारां क्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] अकरम पुत्र इदरीश जाति–मुसलमान के विरूद्ध ल[illegible] कर [illegible] करने एव जुआ खेलने के 8 प्रकरण पंजीबद्ध है इनमें से 5 प्रक[illegible] उक्त अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जा चुका है इसके उपरान्त भी उक्त आपराधी की आपराधिक गतिविधियॉ निरंतर जारी है तथा जुआ सट्टा खेलाने का आदी है। इस व्यक्ति का क्षेत्र में भय और आतंक भी व्याप्त है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षैत्र में शांति एंव कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध रिपोर्ट कराने या गवाही देने से डरता है ऐसे अपराधी का स्वतंत्र रहना लोकशांति के लिये हितकर नहीं

जिला मजिस्ट्रेट बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अप्रार्थी किसी के साथ कोई भी गम्भीर वारदात कर सकता है। गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	सी.एस. नं0	न्यायालय का निर्णय
1.	549/08	13 आर0पी0जी0ओ0	472/30.09.08	सजा एजेएम,बारां दिनांक 14. 10.06
2.	740/08	13 आर0पी0जी0ओ0	625/22.12.08	सजा एजेएम,बारां दिनांक 22. 12.06
3.	246/11	13 आर0पी0जी0ओ0	180/19.8.11	पेण्डिग कोर्ट
4.	514/11	13 आर0पी.जी0ओ0	369/18.8.11	पेण्डिग कोर्ट
5.	735/11	13 आर0पी.जी0ओ0	532/23.11.11	पेण्डिग कोर्ट
6.	67/12	13 आर0पी0जी0ओ0	43/28.1.12	सजा ए0जे0एम0 बारां दिनांक 20.3.12
7.	100/12	13 आर0पी0जी0ओ0	62/9.2.12	सजा ए0जे0एम0 बारां दिनांक 20.3.12
8.	131/12	13 आर0पी0जी0ओ0	100/13.03.12	सजा ए0जे0एम0बारां दिनांक 15.5.12

अतः गैरसायल अकरम पुत्र इदरीश जाति–मुसलमान की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश एंव नियंत्रण रखने व क्षैत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 [illegible] जिले से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया।

[illegible] होने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा [illegible] साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल की तलबी की [illegible] दिनांक 26.02.2013 को उपस्थित हुआ तथा दिनांक 12.06.2013 को जवाब नोटिस पेश किया। जवाब मे कथन किया है कि प्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध [illegible] ता 8 लगायत मुकदमें दर्शाये गये है वे सर्वथा गलत एंव विधि विरूद्ध [illegible] विरूद्ध कोई आपराधिक रेकार्ड दर्ज नहीं है।प्रार्थी एक विकलांग श[illegible] के विरूद्ध 13 आर0पी0जी0ओ0 के जो मुकदमें बताये गये है जिन[illegible]का है। प्रार्थी गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालना पोषण करता है। वह बारां नगर का स्थायी निवासी है तथा बारां में शांतिपूर्व जीवनयापन [illegible]। [illegible]र्थी के विरुद्ध खोली गयी कार्यवाहीं ड्रोप फरमायी जावे।

गैरसायल का जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में अभियोजन पक्ष की शहादत पी.डब्ल्यू. 1 श्री बनवारीलाल हाल हैड कानि. कोतवाली,बारां ली गई। प्रकरण मे साक्ष्य सरकार पूर्ण होने पर गैरसायल को वास्ते साक्ष्य डी.डब्ल्यू–1 श्री मनोज यादव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

नि. मंडोला वार्ड,बारां व डी.डब्ल्यू.–2 श्री विमल यादव नि. मंडोला वार्ड, बारां ली गयी। तदुपरान्त बहस ए.पी.पी. अभियोजन पक्ष सरकार एवं अभिभाषक गैरसायल सुनी गई।

बहस के दौरान ए.पी.पी. का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में जुआ सट्टा खेलने खिलानें व लडाई झगडा मारपीट करने संबंधी 8 दर्ज हुये है, जिसमें से पॉच प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्व किया गया है। तथा 3 पेंडिग कोर्ट है। इसके आचरण से समाज में भय व आंतक व्याप्त है, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने से कतराते है। गैरसायल के विरूद्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य तथा निर्णित प्रकरणों मे सजा होने से यह साबित है कि गैरसायल आदतन अपराधी है, जो गुण्डा की तारीफ में आता है। अतः इस्तगासा स्वीकार किया जावें।

इसके विपरीत गैरसायल के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस्तगासे मे वर्णित प्रकरणों में निर्णय हो चुका है। वर्तमान में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है जिन प्रकरणों का हवाला देकर प्रकरण दर्ज कराया गया है, वह सभी सामान्य प्रवृत्ति के है जिनके आधार पर गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उसके विरूद्व वर्ष 2014 के बाद किसी भी न्यायालय में किसी भी धारा में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थाना हाजा ने जो प्रकरण दर्ज बताये है वह भी निर्णित हो चुके है वह शांतिपूर्वक आम आदमी की तरह गाड़ी ड्राईवरी करके अपना व परिवार का पालन पोषण कर रहा है। थाना–कोतवाली,बारां ने जानबूझ कर बिना किसी आधार के उसके विरूद्व इस्तगासा पेश किया है। उसके विरूद्ध वर्ष 2013 के पश्चात् कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। जो रेकार्ड व [illegible] साक्ष्य से भी प्रमाणित होता है। राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,[illegible] तहत गुण्डा घोषित किये जाने से पूर्व छः माह में प्रकरण दर्ज [illegible] संबंधित थाना द्वारा इन सभी बातो को बिना गौर किये उसके विरूद्व [illegible] किया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः इस्तगासा [illegible] जावें।

[illegible] व अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी व प्रस्तुत अभिलेख का [illegible] बयान अभियोजन सरकार पक्ष व गैरसायल पक्ष पर मनन किया। [illegible] है कि इस्तगासे में गैरसायल के विरूद्व 8 प्रकरण दर्ज हुये है, इन सभी प्रकरणों मे निर्णय हो चुका है। गैरसायल के विरूद्व जो प्रकरण दर्ज हुए है वह सभी [illegible] के पूर्व के है। अभिभाषक का कथन है कि यदि छः माह में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तो [illegible] अधिनियम के तहत उसे गुण्डा घोषित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति [illegible] प्रतीत होता है कि गैरसायल की वर्तमान में आम [illegible] ठीक है तथा इस [illegible] कोई प्रकरण पंजीबद्व नहीं हुआ है। गैरसायल वर्तमान में [illegible] के रूप मे रह रहा है, इसकी पुष्टि गैरसायल के साक्ष्य डी.डब्ल्यु. 1 व डी. डब्ल्यु.2 से होती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

अतः स्पष्ट है कि गैरसायल के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुये है व निर्णित हो चुके है। इसके बाद गैरसायल के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई फौजदारी, लडाई झगडा, सट्टा लगाने व शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को गुण्डा घोषित नही किया जा सकता। इसलिये राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत इस्तागासे को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा गैरसायल अंकरम पुत्र इदरीश जाति–मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी मधुवन रिसोर्ट रोड नाले के पास, बारां थाना–कोतवाली बारां जिला बारां के विरूद्ध प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का इस्तगासा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बारां व थानाधिकारी, कोतवाली,बारां को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. ... सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official